कार्यालय नगर पंचायत लार जनपद–देवरिया

पत्रांक 800/न०पं०लार/ 2014–15 दिनांक 16–3–015

अल्पकालिक निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत फर्मो/ ठेकेदारो को सूचित किया जाता है, कि नगर पंचायत लार देवरिया के द्वारा शासनादेश सं०–आर एफ0 14/नौ–9–2015–03 आर०एफ०/15, दिनांक 19 जनवरी 2015, के कम में नया सवेरा नगर विकास योजना से तथा आदर्श नगर योजना के शासनादेश संख्या–305/2461 आ०न०यो०/9–08–14–34आ०न०यो० (बजट)/2014 के कम में प्राप्त धनराशि द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। पंजीकृत फर्मो/ ठेकेदारो से दिनांक 30–3–015 को 14 बजे तक मुहरबन्द निविदा कार्यालय नगर पंचायत लार/जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन कार्यालय जिलाधिकारी देवरिया परं सक्षम अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 16 बजे खोला जायेगा । निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 27–3–015 को समय 11 बजे से 14 बजे तक नगर पंचायत कार्यालय लार/जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा आदि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय नगर पंचायत लार से कार्य दिवस में की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम (नया सवेरा विकास योजना)	आगणन की धनराशि (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	उप डाकघर के सामने पुलिया से सोनराबारी मठ स्कूल गेट तक दोनो पटरी पर इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	38.23	आगणन धनराशि का 10 प्रतिशत	3850	एक माह
2	लार भेसही पीच रोड से महेश सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	15.23		1550	एक माह
3	चनूकी मोड़ से ईसाई कब्रिस्तान तक मेन रोड के दोनो तरफ इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	28.93		2900	एक माह
4	छपरा मोड़ से गौरी मोड़ तक सड़क के दोनो तरफ पटरी पर इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	11.43		1150	एक माह
5	छपरा मोड़ से उषा हीरो होण्डा एजेन्सी तक सड़क के दानो पटरी पर इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	13.45		1350	एक माह
6	पिपरा चौराहा से श्रीराम सिंह के दुकान तक दोनो पटरी पर इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	15.32		1550	एक माह
7	आयशा कार्यालय गेट से दक्षिणी गेट तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	7.35		750	एक माह
8	सुर्यनाथ के मकान से जमशेद के खेत होते हुये मनीर के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड व पुलिया निर्माण कार्य	16.10		1650	एक माह
क्र0 सं0	कार्य का नाम (आदर्श नगर योजना)	आगणन की धनराशि (लाख रू0 में)	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	पकड़ी पीच मार्ग से अनिरूद्ध के मकान तक पिच रोड निर्माण व कारिंग निर्माण कार्य	36.51	365100	4000	दो माह

नियम एवं शर्ते–

1. निविदादाता को निविदा की दरें निविदा पत्र पर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।
2. निर्धारित समय तक निविदा को नगर पंचायत कार्यालय लार एवं जिलाधिकारी कार्यालय देवरिया पर रखे गये निविदा पेटिका में डालना होगा, निर्धारित अवधि के पश्चात निविदा स्वीकार नही किये जायेगे।
3. निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण न कराने पर जमानत धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मदारी ठेकेदार की होगी।
4. किसी की निविदा को बिना कारन बतायें स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
5. निविदा स्वीकृति के पश्चात ,आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरकर कार्य प्रारम्भ कराना आवश्यक है ,अन्यथा विलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण जो वर्तमान समय में प्रभावी हों संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अनुबन्ध हेतु स्टैम्प एक्ट के अनुसार स्टम्प पेपर नियमानुसार देय होगा ।
8. निविदा निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एफ०डी०आर०/के०वी०पी०/एन०एस०सी० जमा किया जा सकता है।
9. ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 2014–15 हेतु अपने पंजीयन का नवीनीकरण नही कराये है। वे निविदा में भाग नही ले सकते।
10. अन्य नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में अवकाश दिन छोड़कर ज्ञात किया जा सकता है।
11. निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
12. किसी भी फर्म/ठेकेदार या उसके सहयोगी द्वारा निविदा कार्य में व्यवधान , अभद्रता , दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को काली सूची में करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने स्थान पर अंकित करायी जायेगी।
13. प्रत्येक निविदा के साथ अलग अलग जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
14. इस योजना के अर्न्तगत कराये गये कार्यो में यदि गुणवतत्ता खराब होने अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटी के कारण टुटफुट होती है। तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन बर्ष के अन्दर उसका रख रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत लार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत लार
देवरिया

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी (स्था0 नि0) देवरिया को कार्यो की सूची एवं सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ की, इस विज्ञापन को www.deoria.nic.in पर प्रकाशनार्थ।
3. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया/गौरा बरहज/नगर पंचायत सलेमपुर/मझौली राज/भटनी बाजार/भाटपार रानी/रामपुर कारखाना/गौरीबाजार।
4. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/जल निगम/सिंचाई विभाग देवरिया।
5. अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
6. कार्यालय नगर पंचायत के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. विज्ञापन व्यवस्थापक...............................समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम स्थान में कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित, बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत लार
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत लार
देवरिया